रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082024-256322
CG-DL-E-13082024-256322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3095] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946
No. 3095] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3249(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 838 (अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दरांगघाटी वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात;

उक्त अधिसूचना में-

(क) मानीटरी समिति से संबंधित पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"5. **मानीटरी समिति**.- केंद्रीय सरकार मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1) उपायुक्त, शिमला — अध्यक्ष, *पदेन*;

(2) पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में — सदस्य;

	काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।	
(3)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(4)	हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, *पदेन*;
(5)	कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(6)	उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, रामपुर या उसका प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(7)	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रादेशिक	सदस्य, *पदेन*;
(8)	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	*पदेन*, सदस्य सचिव;"

(ख) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. **मानीटरी समिति के कार्य.** – (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा करेगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मानीटरी समिति मामला दर मामला के आधार पर निर्भर रहते हुए विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या संबंध पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा.सं. 25/46/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 838(अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2024

S.O. 3249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Daranghati Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 838(E), dated the 16th March, 2017, namely:-

In the said notification, —

(a) for paragraph 5, relating to 'Monitoring Committee', the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee, which shall comprise of the following persons namely:—

(1)	Deputy Commissioner, Shimla	Chairman, *ex officio;*
(2)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) nominated by the State Government of Himachal Pradesh for a period of three years	Member;
(3)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government of Himachal Pradesh for a period of three years.	Member;
(4)	Member of the Himachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
(5)	Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board	Member, *ex officio;*
(6)	Sub-Divisional Magistrate, Rampur or his representative	Member, *ex officio;*
(7)	Divisional Forest Officer, Territorial	Member, *ex officio;*
(8)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	Member Secretary, e*x officio;*

(b) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely: —

"6. **Functions of the Monitoring Committee**. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/46/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 838(E), dated the 16th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.13 15:20:35 +05'30'